न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./26/2017/बाड़मेर

अपीलांट

1. संवताराम पुत्र श्री हमीराराम जति विश्नोई निवासी गुणेशाणियों की ढाणी धोरीमन्ना तहसील धौरीमन्ना जिला बाड़मेर

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.चुतराराम पुत्र रामुराम
2.मोहनलाल पुत्र रामुराम
3.गोगाराम पुत्र दौलाराम
4.मोहनलाल पुत्र दौलाराम
5.कसुम्बी पत्नी दौलाराम
6.तुलछाराम पुत्र भींयाराम
7.सोनाराम पुत्र भींयाराम
8.वरींगाराम पुत्र भींयाराम
9.पांचाराम पुत्र भींयाराम
10.धर्माराम पुत्र गुलाबाराम जाति विश्नोई निवासी गुणेशानियो की ढाणी तहसील धौरीमन्ना जिला वाड़मेर
11.शाखा प्रबन्धक बी सी बी बी शाखा धोरीमन्ना
12.राजस्थान जरिये तहसीलदार वाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर धौरीमन्ना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 431/2015 बअनवान चुतराराम वगै. बनाम सांवताराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 21.03.2017 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री महेन्द्र कुमार रामावत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री करनाराम चौधरी रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 03.08.2021

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पोडेंट की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 818 रकबा 74.10 बीघा ग्राम गुणेशानियो की ढाणी में अवस्थित है। रेस्पोडेंट को सड़क तक पहुंचने के लिये गैर मुमकिन गोवा मौजुद है परन्तु गौवा के मध्य में एक 200 फीट ऊंचाई का धोरा आया हुआ है जिससे गैर मुमकिन से कोई साधान व वाहन आना जाना संभव नहीं है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना तथा निकटतम रास्ते के विकल्प का अभाव सिद्ध किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध

राजस्व अपील प्राधिकारी
वाड़मेर

जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना तथा रास्ते के विकल्प का अभाव सिद्ध किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत आवेदन में मौका फर्द मंगवाई गई जिसमें स्पष्ट आया है कि प्रार्थी की खातेदारी तक पहुंचने के लिए गैर मुमकिन गोवा उपलब्ध है। उस मौका रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि खसरा संख्या 818 के लिए रास्ता दुसरा कटान उपलब्ध है लेकिन वह रेत के टीले में दब गया है यह तर्क मानने योग्य नहीं है। कोई भी रास्ता रेत आने के कारण बन्द नहीं होता है वह राजस्व रेकर्ड में कटान मार्ग के रूप में हमेशा रहता है। प्रार्थी/रेस्पोडेंट की खातेदारी खेत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्ग होते हुए भी अपनी सुविधाओं के लिए नवीन रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते वक्त तथ्यों पर गौर किये बिना पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट द्वारा पेश अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांटगण की अपील खारिज की जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मंगवाई मौका फर्द दिनांक 17.10.2016 में स्पष्ट अंकन आया कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता खसरा संख्या 1049/827 में से चाहा गया है उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। उपरोक्त खसरे के पास कटाण रास्ता नक्शा अनुसार सेटलमेंट से है लेकिन वो अब मौके पर एक बड़े रेत के टीबे के नीचे दब गया है उस पर सड़क

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./26/2017/बाड़मेर

अपीलांट

1. संवताराम पुत्र श्री हमीराराम जति विश्नोई निवासी गुणेशाणियों की ढाणी धोरीमन्ना तहसील धौरीमन्ना जिला वाड़मेर

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.चुतराराम पुत्र रामुराम
2.मोहनलाल पुत्र रामुराम
3.गोगाराम पुत्र दौलाराम
4.मोहनलाल पुत्र दौलाराम
5.कसुम्वी पत्नी दौलाराम
6.तुलछाराम पुत्र भींयाराम
7.सोनाराम पुत्र भींयाराम
8.वरींगाराम पुत्र भींयाराम
9.पांचाराम पुत्र भींयाराम
10.धर्माराम पुत्र गुलाबाराम जाति विश्नोई निवासी गुणेशानियो की ढाणी तहसील धौरीमन्ना जिला वाड़मेर
11.शाखा प्रबन्धक बी सी बी बी शाखा धोरीमन्ना
12.राजस्थान जरिये तहसीलदार वाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर धौरीमन्ना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 431/2015 बअनवान चुतराराम वगै. बनाम सांवताराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 21.03.2017 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री महेन्द्र कुमार रामावत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री करनाराम चौधरी रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 03.08.2021

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पोडेंट की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 818 रकवा 74.10 बीघा ग्राम गुणेशानियो की ढाणी में अवस्थित है। रेस्पोडेंट को सड़क तक पहुंचने के लिये गैर मुमकिन गोवा मौजुद है परन्तु गौवा के मध्य में एक 200 फीट ऊंचाई का धोरा आया हुआ है जिससे गैर मुमकिन से कोई साधान व वाहन आना जाना संभव नहीं है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना तथा निकटतम रास्ते के विकल्प का अभाव सिद्ध किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना तथा रास्ते के विकल्प का अभाव सिद्ध किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत आवेदन में मौका फर्द मंगवाई गई जिसमें स्पष्ट आया है कि प्रार्थी की खातेदारी तक पहुंचने के लिए गैर मुमकिन गोवा उपलब्ध है। उस मौका रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि खसरा संख्या 818 के लिए रास्ता दुसरा कटान उपलब्ध है लेकिन वह रेत के टीले में दब गया है यह तर्क मानने योग्य नहीं है। कोई भी रास्ता रेत आने के कारण बन्द नहीं होता है वह राजस्व रेकर्ड में कटान मार्ग के रूप में हमेशा रहता है। प्रार्थी/रेस्पोडेंट की खातेदारी खेत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्ग होते हुए भी अपनी सुविधाओं के लिए नवीन रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते वक्त तथ्यों पर गौर किये बिना पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट द्वारा पेश अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांटगण की अपील खारिज की जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मंगवाई मौका फर्द दिनांक 17.10.2016 में स्पष्ट अंकन आया कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता खसरा संख्या 1049/827 में से चाहा गया है उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। उपरोक्त खसरे के पास कटाण रास्ता नक्शा अनुसार सेटलमेंट से है लेकिन वो अब मौके पर एक बड़े रेत के टीबे के नीचे दब गया है उस पर सड़क

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बनाना या चलना असम्भव है। प्रार्थी/रेस्पोडेंट के पास अपनी आराजी पर आने-जाने हेतु सेटलमेंट से ही रास्ता उपलब्ध है। रास्ते की जगह पर रेत के टीबे होने से रास्ता बंद होना प्रार्थी के पास रास्ता नहीं होने का अभाव सिद्ध नहीं करता है। प्रार्थी/रेस्पोडेंट के पास वैकल्पिक रास्ता होते हुए भी अपनी सुविधाओं के लिए नवीन रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी/रेस्पोडेंट को प्रस्तावित रास्ते की कोई आत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना एवं पत्रावली पर आये तथ्यों पर गौर किये बिना पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ हैं। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील को स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर धौरीमन्ना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 431/2015 बआनवान चुतराराम वगै. बनाम सांवताराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 21.03.2017 को खारिज किया जाता है। उपरोक्त आदेश की पालना में गई समस्त आनुषंगीक कार्यवाही को खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(अरिन्दम कुमार जाखिड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 03.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर